न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः–213/2024

प्रार्थीगणः–

1. नारायणराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल
2. सवाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल
3. सोमादेवी पत्नी घेवरराम जाति मेघवाल
4. सुआदेवी पत्नी तलछाराम जाति मेघवाल
   निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. चम्पालाल पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–16.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौखण्डी तहसील समदडी के मूल खसरा संख्या 39 रकबा 36.14 बीघा का बंटवाडा किये जाने से खसरा संख्या 39/1 व 39/2 बने । खसरा संख्या 39/2 प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी तुलछाराम के नाम की तरमीम की जाकर अलग से खसरा नम्बर कायम किया गया जो नया खसरा संख्या 159/39 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 159/39 का दिनांक 20.02.2024 को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाया जाने से प्रार्थी संख्या 1 का खसरा संख्या 359/159, प्रार्थी संख्या 2 का खसरा संख्या 358/159, प्रार्थी संख्या 3 का खसरा संख्या 357/159 व प्रार्थी संख्या 4 का खेत खसरा संख्या 360/159 अलग कर अलग–अलग बटटा नम्बर अंकित होकर तरमीम किया गया। बाद बंटवाडा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 359/159 रकबा 0.4957 हैक्टेयर में से 0.0876 हैक्टेयर भूमि राजस्थान सरकार में समर्पित करने से खसरा संख्या 362/359 अलग बटटा नम्बर अंकित होकर रकबा 0.4081 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के बदस्तूर कायम रही लेकिन सेटेलमेन्ट के दौरान वांछित भूमि का नक्शा तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के खेत पूर्व खसरा संख्या 159/39 रकबा 1.9830 हैक्टेयर के अनुसार नक्शा में तरमीम नहीं दर्शा कर त्रुटिवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम में सहवन से मौके व रकबे अनुसार न कर नक्शा ट्रेस में कम तरमीम कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का जमाबंदी में दर्ज अनुसार कब्जा काश्त कायम है तथा जमाबंदी में भी हक अनुसार रकबा का इन्द्राज है। अतः प्रार्थीगण ने उक्त तरमीम को दुरूस्त करते हुए वास्तविक कब्जानुसार तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।
विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माफिक इस्तदुआ तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।
तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2024/1868 दिनांक 09.12.2024 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम मौखण्डी के मूल खसरा संख्या 39 का विभाजन किया जाने से खसरा संख्या 39/2 रकबा 12.05 बीघा प्रार्थी संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी तुलसाराम को प्राप्त हुई जिसका नया खसरा संख्या 159/39 बना । खसरा संख्या 159/39 के खातेदारो द्वारा दिनांक 20.02.2024 को आपसी सहमति बंटवाडा किये जाने से खसरा संख्या 159/39 के नये खसरा संख्या 359/159 प्रार्थी संख्या 1 को, खसरा संख्या 358/159 प्रार्थी संख्या 2 को, खसरा संख्या 357/159 प्रार्थी संख्या 3 को ,खसरा संख्या 360/159 प्रार्थी संख्या 4 के नाम व खसरा संख्या 144/39 विप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 359/159 रकबा 0.4957 हैक्टयेर में से रकबा 0.0876 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार के नाम समपर्ण करवा दी। उक्त खसरो की तरमीम करते समय सहवन से मौके व रकबे अनुसार न कर भूमि नक्शा ट्रेस में कम कर गलत तरमीम कर दी गई है। उक्त तरमीम को मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार दुरूस्ती किये जाने से किसी भी पक्ष के धारित कुल रकबे में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं हो रही है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखण्डी तहसील समदडी मूल खसरा संख्या 39 के (नया खसरा संख्या 159/39 व 145/39) बने खसरा संख्या 159/39 के खातेदारी का आपसी सहमति से बंटवाडा से बने नये खसरा संख्या 361/359, 362/359, 358/159, 357/159, 360/159 व 145/39 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2024/1868 दिनांक 09.12.24 तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 16.01.2025 [illegible]लास सुनाया गया।

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आंशिक नक्शा किश्तवार
मौजा = मोकलसी
तहसील = समदड़ी
(बालोतरा)
पैमाना 1" = 80 गट्ठा

नजरी नक्शा
"परिशिष्ट A"

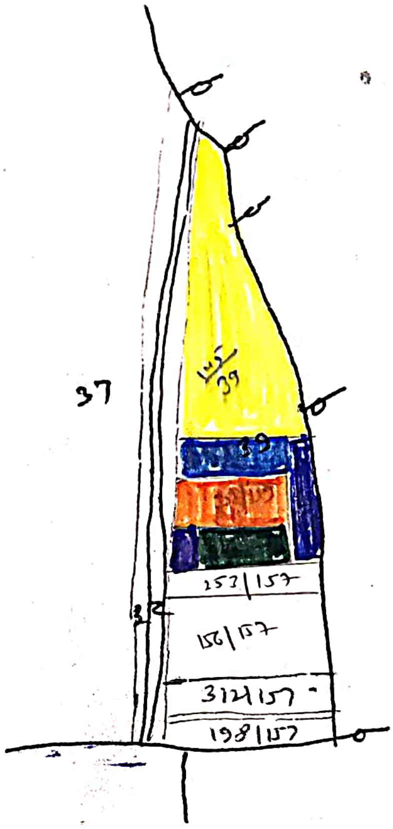

Ex-court.

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सवाराम

5/12/24
पटवारी

5.12.24
पटवारी

अंगूठा

संकेत चिन्ह

(blue)	361/359	समर्पित भूमि
(black)	362/359	नारायण पि. धुलाराम
(orange)	358/359	सवाराम पि. धुलाराम
(blue)	358/359	सोमादेवी पति छैलाराम
(dark blue)	360/359	कुआदेवी पति [illegible]
(yellow)	145/39	धन्नालाल पि. पुरखाराम

सोमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू-अ) समदड़ी